न्यायालयः–प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बड़वाह (प.नि.)
(समक्षः सुश्री श्वेता गोयल)

Registration No.MACC/23/2023
Filing No.MACC/160/2022
CNR No. MP1007-0018092022
Filing Date. 10-09-2022

महेश पिता श्रीराम चौहान, उम्र 43 वर्ष, व्यवसाय
नौकरी, निवासी ग्राम बावडीखेड़ा, तहसील बड़वाह
जिला खरगोन (म.प्र.) ....आवेदक

वि रू द्ध

1. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
मण्डल कार्यालय खण्ड़वा, जिला खण्डवा
(म.प्र.) (बीमा कंपनी)
2. रशीद खान पिता रफीक खान, उम्र 38 वर्ष,
व्यवसाय वाहन मालिक एवं चालक, निवासी
राजेन्द्र उपनगर बड़वाह, तहसील बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.) (वाहन स्वामी एवं चालक) ....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र अमई अधिवक्ता।
अनावेदक क0–1 की ओर से श्री ललीत शुक्ला अधिवक्ता।
अनावेदक क0–2 की ओर से श्री बी.यू. शेख अधिवक्ता।

Registration No.MACC/17/2023
Filing No.MACC/161/2022
CNR No. MP1007-0018102022
Filing Date.10-09-2022

दिनेश पिता जगदीश गुर्जर, उम्र 35 वर्ष, व्यवसाय व्यापार, निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.) ....आवेदक

वि रू द्ध

1. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मण्डल कार्यालय खण्ड़वा, जिला खण्डवा (म.प्र.) (बीमा कंपनी)
2. रशीद खान पिता रफीक खान, उम्र 38 वर्ष, व्यवसाय वाहन मालिक एवं चालक, निवासी राजेन्द्र उपनगर बड़वाह, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन (म.प्र.) (वाहन स्वामी एवं चालक) ....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र अमई अधिवक्ता।
अनावेदक क्र0–1 की ओर से श्री ललित शुक्ला अधिवक्ता।
अनावेदक क्र0–2 की ओर से श्री बी.यू. शेख अधिवक्ता।

–: : अधिनिर्णय : :–

(अधिनिर्णय दिनांक 08/10/2024 को घोषित)

1. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण 23/2023 एवं 17/2023 एक ही दुर्घटना से संबंधित होने से दोनों प्रकरणों को समेकित किया गया और एक ही अधिनिर्णय पारित किया जा रहा है।

2. आवेदक महेश एवं आवेदक दिनेश ने पृथक–पृथक याचिका मोटरयान अधिनियम, 1988 **(अत्र पश्चात् अधिनियम, 1988 संबोधित)** की धारा 166 के अंतर्गत दुर्घटना दिनांक–06.10.2021 को हुई दुर्घटना में कारित घोर उपहति के परिणामस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्ततः व पृथकतः–पृथकतः प्रतिकर राशि क्रमशः ₹ 25,00,000–25,00,000/– की अदायगी हेतु पेश की है।

3. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1752 (अत्र पश्चात् दुर्घटनाग्रस्त वाहन संबोधित) अनावेदक क्रमांक 01 में दुर्घटना दिनांक 06.10.2021 को बीमित था एवं दुर्घटनाग्रस्त वाहन अनावेदक क्रमांक 02 के नाम पर पंजीकृत था।

4. आवेदक महेश की याचिका (याचिका क्रमांक 23/2023) एवं आवेदक दिनेश (याचिका क्रमांक 17/2023) पृथक–पृथक संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.10.2021 को प्रातः 10:00 बजे याचिकाकर्ता महेश एवं दिनेश मोटरसाइकल से ग्राम हीरापुर से बड़वाह तरफ आ रहे थे, तब वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1752 के चालक अनवेदक क्रमांक 02 ने उक्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकल में सामने से टक्कर मार दी। याचिकाकर्तागण की मोटरसाइकल अपनी साईड से व सामान्य गति से जा रही थी। दोनों याचिकाकर्तागण नीचे गिर गये, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। याचिककाकर्ता महेश का शासकीय अस्पताल बड़वाह में प्राथमिक

उपचार हुआ उसके पश्चात् गुर्जर अस्पताल सनावद में दिनांक 06.10.2021 से 07.10.2021 तक भर्ती रहा और वहाँ उसका उपचार हुआ। आवेदक महेश की सीधे पैर की उंगलियों में और पसलियों में फ्रेक्चर आया और स्थायी अपंगता कारित हुई। याचिकाकर्ता दुर्घटना के पूर्व मधुबन पान सदन बड़वाह में नौकरी कर ₹ 12,000/– प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था, दुर्घटना के पश्चात् उसकी नौकरी चली गई। घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र बड़वाह पर की गई। अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई और उसके संबंध में आपराधिक प्रकरण आरसीटी क्रमांक 305/2021 विचाराधीन है।

5. याचिकाकर्ता दिनेश ने भी सारतः उक्त अभिवचन दुर्घटना के संबंध में किये और यह अभिवचन किया कि उसका प्राथमिक उपचार शासकीय अस्पताल बड़वाह में हुआ। वह जैन अस्पताल सनावद में 04–05 दिन तक भर्ती रहा। उसके सीधे पैर में अस्थिभंग आया था, जिस कारण उसे स्थायी अपंगता कारित हुई और उसके तीन लाख रूपये व्यय हुए। दुर्घटना के पूर्व याचिकाकर्ता कृषि बीज एवं दवाई का बड़ा व्यापारी होकर व्यापार से ₹ 25,000/– प्रतिमाह की आय अर्जित करता था। दुर्घटना के कारण आई स्थायी अपंगता के कारण वह अपने कार्य से वंचित हो गया है और उसका व्यापार बंद हो गया है।

6. अतः याचिकाकर्तागण ने पृथक–पृथक याचिका प्रस्तुत कर ₹ 25,00,000–25,00,000/– क्षतिपूर्ति राशि अनावेदकगण से अदा किये जाने हेतु निवेदन किया है।

7. अनावेदक क्रमांक 01 बीमा कंपनी ने याचिकाकर्तागण के अभिवचन को

अस्वीकार करते हुए पृथक–पृथक लिखित कथन प्रस्तुत कर अभिवचन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 07 घंटे विलंब से लेख करायी गई है। दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुॅचने के संबंध में दस्तावेज पेश नहीं है और जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी वह घटनास्थल पर बाद में पहुॅचा था। दुर्घटना, दुर्घटना –ग्रस्त वाहन से नहीं हुई, अतः अनावेदक कमांक 01 बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन लोक मार्ग पर परिचालन करने की स्थिति में नहीं थी। अतः दोनों याचिकाओं को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

8. अनावेदक कमांक 02 ने याचिकाकर्तागण के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन अनावेदक कमांक 01 के यहॉ बीमित है। यदि न्यायालय याचिकाकर्तागण को प्रतिकर प्राप्ति के संबंध में पात्र होने के संबंध में निष्कर्ष देता है तो अनावेदक कमांक 01 बीमा कंपनी उत्तरदायी है। अतः दोनों याचिकाओं को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

9. यह प्रकरण दिनांक 09.05.2024 को माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय, मण्ड़लेश्वर के आदेश कमांक 2016/सा.ले./मण्डलेश्वर दिनांक 29.04.2024 के पालन में श्री कौशलेन्द्रसिंह भदौरिया, तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बड़वाह के न्यायालय से आवेदक साक्ष्य के प्रकम पर अंतरण पर प्राप्त हुआ।

10. उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेज के आधार पर निम्न वाद प्रश्न दिनांक 09.05.2024 को विरचित किए गए, जिन पर निष्कर्ष, निष्कर्ष पर पहुॅचने के उपरांत अभिलिखित किए जाएॅगे।

क्लेम प्रकरण कमांक 23/2023 के संबंध में–

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या घटना दिनांक 06.10.2021 को सुबह लगभग 10:00 बजे गोयल आईल मिल के पास जयमलपुरा बड़वाह, जिला खरगोन में अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1752 को चालक अनावेदक क्रमांक 02 ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत आवेदक महेश को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर उसे घोर उपहति कारित की ?	**''साबित''**
2	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप महेश को स्थायी अपंगता/निः शक्तता कारित हुई ?	**''घोर उपहति/अस्थिभंग होना साबित किंतु स्थायी निःशक्तता साबित नहीं''**
3	क्या दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 02 ने उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस न होने से बीमा की शर्तों का उल्लंघन में प्रश्नगत वाहन को चलवाकर बीमा पॉलिसी का उल्लंघन किया ?	**''साबित नहीं''**
4	क्या दुर्घटना आवेदक की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई ?	**''साबित नहीं''**
5	क्या आवेदक उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप 25,00,000/– रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हॉ तो किससे और किस दर से ?	**''अशंतः साबित, आवेदक महेश क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णयानुसार प्राप्त करने का अधिकारी हैं''**
6	सहायता एवं वाद व्यय ?	**''अधिनिर्णय की कंडिका**

		क्रमांक 35 के अनुसार''

क्लेम प्रकरण क्रमांक 17/2023 के संबंध में–

क्रमांक	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
1	क्या घटना दिनांक 06.10.2021 को सुबह लगभग 10:00 बजे गोयल आईल मिल के पास जयमलपुरा बड़वाह, जिला खरगोन में अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1752 को चालक अनावेदक क्रमांक 02 ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत आवेदक दिनेश को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित कर उसे घोर उपहति कारित की ?	**''साबित''**
2	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप दिनेश को स्थायी अपंगता/निः शक्तता कारित हुई ?	**''घोर उपहति/अस्थिभंग होना साबित किंतु स्थायी निःशक्तता साबित नहीं''**
3	क्या दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 02 ने उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी लाइसेंस न होने से बीमा की शर्तों का उल्लंघन में प्रश्नगत वाहन को चलवाकर बीमा पॉलिसी का उल्लंघन किया ?	**''साबित नहीं''**
4	क्या दुर्घटना आवेदक की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई ?	**''साबित नहीं''**
5	क्या आवेदक उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप 25,00,000/– रूपये	**''अशंतः साबित, आवेदक**

	क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हॉ तो किससे और किस दर से ?	**दिनेश क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णयानुसार प्राप्त करने का अधिकारी हैं''**
6	सहायता एवं वाद व्यय ?	**''अधिनिर्णय की कंडिका क्रमांक 35 के अनुसार''**

–: : निष्कर्ष के आधार : :–

–:: वाद प्रश्न क0 01, 02 एवं 04 (याचिका क्रमांक 23/2023 एवं 17/2023) का निराकरण::–

11. याचिकाकर्ता महेश (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि घटना दिनांक 06.10.2021 को सुबह 10:00 बजे की है, वह और दिनेश मोटरसाइकल से ग्राम हीरापुर से बड़वाह तरफ आ रहा था, वह मोटरसाइकल चला रहा था, घटना महेश्वर रोड़ पर गोयल आईल मिल के सामने हुई थी, सामने बड़वाह तरफ से बेलेरा वाहन क्रमांक एमपी 10 टी 1752 के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही से उनकी मोटरसाइकल को टक्कर मार दी, जिससे वह और दिनेश दोनों गिर गये। साक्षी दिनेश (आ.सा. 02) ने मुख्य परीक्षण में सारतः ऐसा ही कथन किया है।

12. याचिकाकर्ता महेश ने इस संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 01 प्रस्तुत की है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1752 के चालक के विरूद्ध लेख होने का उल्लेख है और उक्त आपराधिक प्रकरण में बनाया गया नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 की प्रमाणित

प्रतिलिपि प्रस्तुत की है एवं अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 08 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार अनावेदक क्रमांक 02 रशीद पिता रफीक खान के विरूद्ध अभियोग पत्र कता किये जाने का उल्लेख है। उक्त आपराधिक प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 02 रशीद को दिये गये धारा 133 मोटरयान अधिनियम के नोटिस प्रदर्श पी 04 में यह टीप अंकित है कि अनावेदक क्रमांक 02 रशीद खान दुर्घटनाग्रस्त वाहन एमपी 10 टी 1752 का पंजीकृत स्वामी है और दिनांक 06.10.2021 को 10:00 बजे वह स्वयं वाहन चला रहा था। उक्त अपराधिक प्रकरण की जप्ती पत्रक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 05 पेश की गई है, जिसके अनुसार अनावेदक क्रमांक 02 रशीद खान से उक्त वाहन, रजिस्ट्रेशन, उसका ड्रायविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी जप्त किये जाने का उल्लेख है, जिसमें परमिट की अवधि दिनांक 16.04.2024, फिटनेस की अवधि दिनांक 31.03.2023, प्रदूषण प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2021 तक की उल्लेखित है। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 01 का यह कहना की गाडी का फिटनेस नहीं था, विश्वसनीय दर्शित नहीं है।

13. प्रश्नगत वाहन के रजिस्ट्रेशन और अनावेदक क्रमांक 02 के ड्रायविंग लाइसेंस की मूल प्रति पेश नहीं है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 02 रशीद खान (अना.सा. 01) ने स्वयं को न्यायालय में परीक्षित कराया है और कथन किया है कि वाहन क्रमांक एमपी 10 टी 1752 का वह पंजीकृत स्वामी है और उसके पास ड्रायविंग लाइसेंस है। उसके ड्रायविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति अभिलेख में संलग्न है। अनावेदक क्रमांक 02 के उक्त कथन का खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि अनावेदक क्रमांक 02

वाहन क्रमांक एमपी 10 टी 1752 का पंजीकृत स्वामी था। रशीद खान (अना. सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके वाहन से एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसने अपने मुख्य परीक्षण में वर्णित नहीं किया कि प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक को वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन नहीं चला रहा था, उसने इस संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन उससे अन्यथा कौन चला रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, अभियोग पत्र प्रदर्श पी 08, धारा 133 के नोटिस प्रदर्श पी 04 एवं अनावेदक क्रमांक 02 को दिये गये धारा 41क द.प्र.स. के तहत दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 06 के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं। अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध अभियोग पत्र कता किया गया है।

14. इस प्रकार यह साबित होता है कि दुर्घटना दिनांक को दुर्घटना समय व स्थान पर अनावेदक क्रमांक 02 रशीद खान द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन एमपी 10 टी 1752 चलाया गया और वह उसका पंजीकृत स्वामी था।

15. अनावेदक क्रमांक 02 के विरूद्ध अभियोग पत्र धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कता किया गया है। आवेदक महेश (आ.सा. 01) और आवेदक दिनेश (आ.सा. 02) के कथन से उनकी मोटरसाइकल में सामने से टक्कर मारी गई। अनावेदक क्रमांक 02 रशीद खान (अना.सा. 01) के कथन से दर्शित नहीं है कि वाहन को किस प्रकार उसके द्वारा चलाया जा रहा था। अनावेदक क्रमांक 02 रशीद की रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्तागण के विरूद्ध दर्ज हुई हो और अनावेदक क्रमांक 02 को कोई उपहति कारित हुई हो, ऐसा अभिलेख से दर्शित नहीं है। अतः याचिकाकर्तागण

की योगदायी उपेक्षा साबित नहीं होती है।

16. इस प्रकार याचिकाकर्तागण के कथन और प्रस्तुत दस्तावेजों से यह साबित होता है कि अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 10 टी 1752 को दुर्घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर याचिकाकर्ता महेश की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना कारित हुई।

17. अनावेदक क्रमांक 01 का तर्क है कि दुर्घटना की रिपोर्ट 07–08 घंटे देरी से लिखायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट महेश पिता भलाजी गुर्जर द्वारा लेख करायी गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि वह आहत दिनेश और महेश को प्रायवेट वाहन से सरकारी अस्पताल लेकर गये। प्रकरण में महेश की प्री–एमएलसी प्रदर्श पी 02 दिनांक 06.10.2021 समय 10:15 ए.एम. की एवं दिनेश की प्री–एमएलसी प्रदर्श पी 21 दिनांक 06.10.2021 समय 10:15 ए.एम. की प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 01 का तर्क मानने योग्य नहीं है। यद्यपि महेश गुर्जर को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है, किंतु याचिकाकर्तागण ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर न्यायालय में बताया है और याचिकाकर्ता महेश के धारा 161 के कथन प्रदर्श पी 09 में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर उल्लेखित है।

18. याचिकाकर्ता महेश (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि नीचे गिरने से उसे सीधे पैर में चोट आई, जिससे उसके सीधे पैर के पंजे में तीनों उंगलियों में फ्रेक्चर हो गया, जिसमें राड डली है और दाहिने तरफ की दो पसलियों में छेद हो गया, जिसके लिये पट्टा चढ़ा था। उसका प्राथमिक

उपचार शासकीय अस्पताल बड़वाह में हुआ उसके बाद गुर्जर अस्पताल सनावद में हुआ, वह दो दिन तक गुर्जर अस्पताल में भर्ती रहा। दुर्घटना में आई चोट के कारण उसे स्थायी अपंगता हो गई है। याचिकाकर्ता महेश की प्री–एमएलसी प्रदर्श पी 02 प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार उसे पैर में चोट आने का उल्लेख है और उसे चेस्ट में दाहिनी तरफ दर्द होने की शिकायत का उल्लेख है। उसकी एक्सरे रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 07 अभिलेख में संलग्न है, जिसमें उसकी तीसरी, चौथी, पांचवी मेटाटर्सल एवं दाहिनी तरफ की 09वी रिव में अस्थिभंग आने का उल्लेख है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं है। याचिकाकर्ता ने स्थायी निर्योग्यता के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है।

19. याचिकाकर्ता दिनेश (आ.सा. 02) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दुर्घटना से उसके दाहिने पैर में अस्थिभंग हुआ था और शरीर में कई जगह चोट आई थी। उसकी प्री–एमएलसी प्रदर्श पी 21 एवं एक्सरे प्रतिवेदन प्रदर्श पी 22 प्रस्तुत किया गया है। प्री–एमएलसी प्रदर्श पी 21 के अनुसार उसके घुटने में नीचे की तरफ कंटयुजन आने का उल्लेख है एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 में फिबूला में अस्थिभंग आने का उल्लेख है। उक्त दस्तावेजों के खण्डन में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य पेश नहीं है। याचिकाकर्ता ने स्थायी निर्योग्यता के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है।

20. इस प्रकार स्थायी निर्योग्यता के संबंध में प्रमाण पत्र पेश नहीं है और उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य से दर्शित नहीं है कि वह स्थायी रूप से निर्योग्य है।

21. वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष है कि घटना

दिनांक 06.10.2021 को सुबह लगभग 10:00 बजे गोयल आईल मिल के पास जयमलपुरा बड़वाह, जिला खरगोन में अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व के वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1752 को चालक अनावेदक क्रमांक 02 ने उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत आवेदक महेश एवं दिनेश को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप महेश और दिनेश को अस्थिभंग कारित होकर ''घोर उपहति'' कारित हुई, किंतु याचिकाकर्तागण को स्थायी निर्योग्यता होना साबित नहीं होता। वाद प्रश्न क्रमांक 04 का अधिकरण का निष्कर्ष है कि याचिकाकर्तागण की योगदायी उपेक्षा साबित नहीं होती है।

<u>वाद प्रश्न क्र0–03 (याचिका क्रमांक 23/2023 एवं 17/2023) का निराकरण</u>

22. दुर्घटनाग्रस्त वाहन बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जा रहा था, यह साबित करने का भार बीमा कंपनी अनावेदक क्र0–1 पर है। अनावेदक क्र. 01 रशीद खॉन (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसके पास ड्रायविंग लायसेंस एमपी 10 आर 2019–01160448 है जो कि दिनांक 30.06.2032 तक वैध है। यद्यपि उसके द्वारा अपना ड्रायविंग लायसेंस मूल पेश नहीं किया गया है, किंतु उसकी प्रति अभिलेख में संलग्न है, जिसके अनुसार नॉन ट्रासपोर्ट के लिए उसका ड्रायविंग लायसेंस दिनांक 30.06.2032 तक वैध है। उक्त साक्षी ने यह भी कहा है कि उसका वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी 10 टी 1752 युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी में दिनांक 31.10.2020 से दिनांक 30.10.2021 तक बीमित अवस्था में था। अनावेदक क्र. 01 द्वारा बीमा पॉलीसी प्रस्तुत नहीं की गई है, बीमा पॉलीसी की प्रति अभिलेख में संलग्न है, जिसके अनुसार वाहन क्रमांक एमपी 10 टी 1752 दिनांक 31.10.2020 से दिनांक 30.

10.2021 तक बीमित अवस्था में होने का उल्लेख है। आपराधिक प्रकरण के जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–05 में अनावेदक क्र. 02/चालक से ड्रायविंग लायसेंस व बीमा पॉलीसी जप्त किये जाने का उल्लेख है। अभियोग पत्र मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कता नहीं किया है। उक्त तथ्य के खण्डन में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

23. इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में अधिकरण का निष्कर्ष है कि दुर्घटना के समय अनावेदक क्रमांक 02 ने उक्त वाहन को वैध एवं प्रभावी लाइसेंस के चलाया, किंतु दुघर्टना दिनांक, समय व स्थान पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन में प्रश्नगत वाहन को नहीं चलाया।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक–05 (याचिका क्रमांक 23/2023 एवं 17/2023) का निराकरण</u>

24. याचिकाकर्ता महेश (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दो दिन तक गुर्जर अस्पताल में भर्ती रहा। उसके द्वारा एक्सरे प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07सी की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई है। उसने अपने इलाज के संबंध में गुर्जर श्री अस्पताल का बिल प्रदर्श पी 12 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह दिनांक 06.10.2021 को भर्ती हुआ और से दिनांक 07.10.2021 को डिस्चार्ज किया गया। इस प्रकार वह दो दिन भर्ती रहा। उसने अपनी इजीसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 प्रस्तुत की है। अस्पताल का बिल प्रदर्श पी 12 राशि 24,000/– रूपये का है और उनके द्वारा उक्त अस्पताल के संबंध में अग्रिम राशि जमा करने के बिल प्रदर्श पी 15 एवं 16 क्रमशः ₹ 10,000/– एवं ₹ 14,000/– राशि के पेश किये है। चूंकि उक्त अग्रिम राशि प्रदर्श पी 12 के बिल में

शामिल है, अतः उसे पृथक से नहीं जोड़ा जा रहा है। याचिकाकर्ता महेश ने जांच के संबंध में प्रदर्श पी 13 का बिल राशि ₹ 200/–, प्रदर्श पी 14 का बिल राशि ₹ 850/–, प्रदर्श पी 17 का बिल राशि ₹ 200/–, प्रदर्श पी 18 का बिल राशि ₹ 3,000/– एवं मेडिकल का बिल प्रदर्श पी 19 राशि ₹ 1,096/– का पेश किया है। इस प्रकार व्यय की गई कुल राशि ₹ 29,346/– होती है।

25. याचिकाकर्ता दिनेश (आ.सा. 02) ने स्वयं के कोई बिल पेश नहीं किये हैं।

26. याचिकाकर्ता महेश (आ.सा. 01) ने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसे दुर्घटना पहले पान की दुकान पर ₹ 12,000/– का वेतन प्राप्त होता था और यह भी कथन किया कि वर्तमान में वह कोई काम नहीं करता है, उसकी नौकरी छूट गई है और याचिकाकर्ता दिनेश (आ.सा. 02) ने मुख्य परीक्षण में कहा कि दुर्घटना के पहले उसकी कृषि बीज एवं दवाई की दुकान से ₹ 25–30,000/– प्रतिमाह की आय होती थी एवं उसकी दुकान बंद हो गई है। दोनों ने ही अपनी आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। याचिकाकर्ता दिनेश ने पैर में फ्रेक्चर होना बताया है और उसके कारण दुकान बंद होना स्वाभाविक दर्शित नहीं होता है। याचिकाकर्ता दिनेश ने म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के तहत अपनी दुकान का पंजीकरण का क्रमांक प्रस्तुत नहीं किया है।

27. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टंत **ओम प्रकाश गुप्ता विरूद्व वजीर एहमद अली आई एल आर (2013) एम.पी. 870** में यह प्रतिपादित किया गया है, कि राज्य द्वारा नियत की गई न्यूनतम मजदूरी को स्वीकार किया

जाना चाहिए। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 01/11/अन्वे./पांच/2015/29748–996 इंदौर दिनांक 01.10.2021 की अनुसूची अ के अनुसार अकुशल श्रमिक के लिये न्यूनतम मूल वेतन ₹ 8,800/– प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता महेश को दो स्थान पर फ्रेक्चर था। अतः आहत/आवेदक की ₹ 8,800/– प्रतिमाह आय की दर से एक माह आय ₹ 8,800/– दिलाया जाना उचित दर्शित होता है। पोष्टिक आहार, अटेंडर एवं आने जाने के व्यय के लिये कुल ₹ 2,000/– दिलाया जाना उचित दर्शित होता है। गैर वित्तीय शारीरिक एवं मानसिक हानि के लिये ₹ 50,000/– उचित दर्शित होता है।

28. इस प्रकार आवेदक महेश, अनावेदकगण से निम्न तालिका अनुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है –

स.क्र.	प्रतिकर शीर्षक	प्रतिकर गणना आधारित राशि
1	इलाज में वास्तविक खर्च (बिल अनुसार)	**₹ 29,346/–**
2	विशेष पोष्टिक आहार व्यय/अण्टेंडर व्यय एवं आवागमन व्यय	**₹ 2,000/–**
3	व्यवसाय की वास्तविक हानि	**₹ 8,800/–**
4	गैरवित्तीय हानि शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वैदना के लिये	**₹ 50,000/–**
	कुल योग	**₹ 90,146/– चक्रीय क्रम में ₹ 90,150/–**

29. याचिकाकर्ता दिनेश ने स्वयं के एडमिट होने के संबंध में और डिस्चार्ज होने के

संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। उसे एक अस्थिभंग हुआ है। अतः आहत/आवेदक की ₹ 8,800/– प्रतिमाह आय की दर से एक माह आय ₹ 8,800/– दिलाया जाना उचित दर्शित होता है। विशेष पौष्टिक आहार के लिये 1,000/– रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। गैर वित्तीय शारीरिक एवं मानसिक हानि के लिये ₹ 25,000/– उचित दर्शित होता है।

30. इस प्रकार आवेदक दिनेश, अनावेदकगण से निम्न तालिका अनुसार प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी है –

स.क्र.	प्रतिकर शीर्षक	प्रतिकर गणना आधारित राशि
1	इलाज में वास्तविक खर्च (बिल अनुसार)	**निल**
2	विशेष पोष्टिक आहार व्यय	**₹ 1,000/–**
3	व्यवसाय की वास्तविक हानि	**₹ 8,800/–**
4	गैरवित्तीय हानि शारीरिक पीड़ा एवं मानसिक वैदना के लिये	**₹ 25,000/–**
	कुल योग	**₹ 34,800/–**

31. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **विमलाबाई एवं अन्य विरूद्ध शरीफ खान एवं अन्य 2009 (4) एमपीएलजे 453** में यह अभिनिर्धारित किया है कि उल्लंघन करने वाले मोटरयान की ओर से लापरवाही के मामले में क्षतिपूर्ति का संदाय करने हेतु बीमाकर्ता के साथ–साथ यान के चालक/स्वामी पर भी संयुक्ततः एवं पृथकतः दायित्व डालना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सविथा विरूद्ध एम/एस. चौलामण्डलम एम.एस. जनरल इंश्योरेंस कंपनी**

लिमिटेड 2020 (II) (माननीय तीन न्यायमूर्तिगण) एमपीडब्ल्यूएन 43 : एआईआर 2020 एससी 3224 में छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रदान किया गया है। माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर ने **प्रभूलाल रजक विरूद्व विजय कुमार शर्मा 2019 (3) टी.ए.सी. 651 (एम.पी.)** में छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रदान किया है।

32. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्व केशव बहादुर एवं अन्य एआईआर 2004 एससी 1581** मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 171 (निरसित की सुसंगत धारा 110 सीसी) और व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 को निर्दिष्ट करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि क्षतिपूर्ति के भुगतान में व्यतिक्रम के लिये ब्याज दर में भूतलक्षीय प्रभाव से उच्चतर ब्याज दर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

33. इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 05 के संबंध में आवेदक महेश के संबंध में (याचिका क्रमांक 23/2023) अधिकरण का निर्णय है कि आवेदक महेश ₹ 90,150/– (₹ नब्बे हजार एक सौ पचास) क्षतिपूर्ति राशि एवं उक्त राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज याचिका प्रस्तुती दिनांक 10.09.2022 से अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने का अधिकारी है।

34. इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 05 के संबंध में आवेदक दिनेश के संबंध में (याचिका क्रमांक 17/2023) अधिकरण का निर्णय है कि आवेदक दिनेश ₹ 34,800/– (₹ चौतीस हजार आठ सौ) क्षतिपूर्ति राशि एवं उक्त राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज याचिका प्रस्तुती दिनांक 10.09.2022 से

अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक प्राप्त करने का अधिकारी है।

वाद प्रश्न क्र0–06 सहायता एवं वाद व्यय :–

35. फलतः याचिकाकर्ता महेश (याचिका क्रमांक 23/2023) एवं याचिकाकर्ता दिनेश (याचिका क्रमांक 17/2023) द्वारा धारा 166 मोटरयान अधिनियिम 1988 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति हेतु याचिका अंशतः स्वीकार कर निम्न अनुसार अवार्ड पारित किया जाता हैः–

(01) याचिकाकर्ता महेश कुल ₹ 90,150/– (₹ नब्बे हजार एक सौ पचास) एक माह के भीतर संयुक्तः व पृथकतः अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसका संदाय अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा किया जायेगा।

(02) आवेदक दिनेश कुल ₹ 34,800/– (₹ चौतीस हजार आठ सौ) एक माह के भीतर संयुक्तः व पृथकतः अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसका संदाय अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा किया जायेगा।

(03) इसके अतिरिक्त उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर याचिकाकर्ता महेश एवं दिनेश याचिका प्रस्तुत करने के दिनांक 10.09.2022 से संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि संदाय करने तक 06 प्रतिशत (छः प्रतिशत) वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का हकदार हैं।

(04) अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि, यदि कोई हो, उक्त अंतिम क्षतिपूर्ति राशि

में समायोजित की जावे।

(05) याचिकाकर्ता महेश एवं दिनेश ने अपना इलाज व्यक्तिगत खर्चे से किया है। अतः याचिकाकर्ता की आयु एवं इलाज में हुए खर्च को देखते हुए याचिकाकर्तागण प्रतिकर राशि नगद प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः प्रतिकर राशि याचिकाकर्तागण को बैंक खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जावे।

(06) अनावेदक क्र0 1 व 2 अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे एवं याचिकाकर्ता महेश एवं दिनेश का भी व्यय वहन करेंगे।

(07) अधिवक्ता शुल्क ₹ 1,500 (₹ एक हजार पॉच सौ) अथवा सूची अनुसार जो भी प्रमाणित पाया जाये, उनमें से जो न्यून हो, व्यय तालिका में जोड़ा जाये।

तद्नुसार उक्त क्लेम प्रकरण में व्यय तालिका बनायी जाए।

दिनांक : 08/10/2024

स्थान : बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

(सुश्री श्वेता गोयल)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर (प.नि.)

(सुश्री श्वेता गोयल)
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बड़वाह, जिला मण्ड़लेश्वर (प.नि.)

SWETA GOYAL
Digitally signed by SWETA GOYAL
Date: 2024.10.08 13:56:15 +0530